GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9]

दिल्ली, फरवरी 27-मार्च 5, 2009, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 8-फाल्गुन 14, 1930 [रा.स.स.वे.दि. सं. 336, 341, 343, 346] DELHI, FEBRUARY 27-MARCH 5, 2009, THURSDAY /PHALGUNA 8-PHALGUNA 14, 1930 [N.C.T.D. No. 336, 341, 343, 346]

भाग—IV PART—IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सं. फा. 10(481)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3543.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनयम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्युबेलीस इंडिया प्रा. लि. दूसरी मंजिल, 21–22, कृष्णा नगर, सफदरजंग इंक्लेव, नई दिल्ली 110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 6,90,000/– मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 79,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 690/–(रुपये छ: सौ नब्बे) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 24th February, 2009

F. No. 10(481)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3543.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cubellis India Private Limited, 2nd Floor 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 690/- (Rs. Six Hundred Ninety) on the aggregate value of shares of Rs. 6,90,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 79,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(540)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/3546.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री
लेकलेण्ड ग्लोवस एण्ड सेफटी एपेरेल प्रा. लि., पांचवी मंजिल,
राजेन्द्रा भवन, 210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002,
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 83,40,000/- मूल्य के इक्विटी
शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,82,321 से 13,16,320 है, पर लगने
वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8340/-(रुपये आठ हजार तीन सौ चालीस)
केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(540)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3546.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lakeland Gloves and Safety Apparel Private Limited, 5th floor, Rajendra Bhawan, 210, DDU Marg, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8340/- (Rs. Eight Thousand Three Hundred Forty) on the aggregate value of shares of Rs. 83,40,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 4,82,321 to 13,16,320 be issued by the said company.

सं. फा. 10(542)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3545.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेपिएन्ट मैनेजमेन्ट कनसल्टेंट प्रा. लि., 13, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9900/-(रुपये नौ हजार नौ सौ) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(542)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3545.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sapient Management Consultant Private Limited, 13, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9900/- (Rs. Nine Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of

सं. फा. 10(547)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/3544 गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिः 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनि 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिः सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर इन्फोरमिडिया इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेक्कालोनी, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रु 21,40,800/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,44, से 22,58,837 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2141/-(रु दो हजार एक सौ इकतालीस) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस

F. No. 10(547)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3544.— exercise of the powers conferred by clause (b) of su section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 18! (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Minist of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revent Authority, Delhi hereby directs that M/s. Informedia Ind Private Limited, B-509, 2nd floor, New Friends Colon New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2141/- (Rs. Two Thousand One Hundred Forty One on the aggregate value of shares of Rs. 21,40,800/- equi Share certificates with distinctive Nos. 20,44,758 to 22,58,83 issued by the said company.

By Orde
of Chief Controlling Revenue Authorit
Govt. of National Capital Territory of Delh
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue